UPLL010028902022

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/384/2022

STATE OF U.P. Vs. Sundarpal Singh s/oGyan Singh

C H A R G E

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त सुन्दरपाल सिंह पुत्र जान सिंह, निवासी ग्राम पिपरई, पोस्ट सुनौरी, थाना तालबेहट, जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

1- यह कि दिनॉक 23.01.2020 को स्थान पिपरई वन ब्लाक के पड़ा-पार स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा मिट्टी/मोरम की चोरी की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि घटना की दिनाँक व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा चोरी की मिट्टी /मोरम को यह जानते हुए कि यह चोरी की हैं, बेईमानी से अपने कब्जे में रखा, जो आपके कब्जे से बरामद हुई। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3-यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान भिन्न पर आप अभियुक्त द्वारा चुरायी गयी मोरम/मिट्टी का यह जानते हुए भी कि वह चोरी की हैं, का अभ्यसतः व्यापार किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 413 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि घटना की दिनाँक व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र से मोरम/मिट्टी की खुदायी कर उसे ट्राली में लादा गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5- यह कि घटना की दिनाँक व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र से मोरम/मिट्टी को अवैध रूप से खोदकर ट्राली में लादकर परिवहन कर चोरी किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 41/42 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6- यह कि घटना की दिनाँक, व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा मिट्टी /मोरम का अवैध खनन किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक-02.02.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक-02.02.023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2023.02.02 17:15:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/384/2022

STATE OF U.P. Vs. Sundarpal Singh s/oGyan Singh

दिनॉक–02.02.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त सुन्दरलाल जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा मिट्टी/मोरम का अवैध खनन कर चोरी से आरक्षित वन क्षेत्र से उसे ट्राली में लादकर ले जाया गया तथा उक्त मिट्टी/मोरम की चोरी कर वह अभ्यस्थतः व्यपार करता है और उसके कब्जे से ट्राली में मिट्टी/मोरम की बरामदगी हुई है। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379, 411, 413 भा.द.सं., धारा 26, 41/42 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379, 411, 413 भा.द.सं., धारा 26, 41/42 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किया जाता है।

दिनॉक–02.02.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।